अनुसूचित जाति आदि उम्मीदवारों हेतु राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति
(वर्ष 2024-25 से लागू)

1 स्कीम का उद्देश्य

राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति की केंद्रीय क्षेत्र स्कीम अनुसूचित जातियों, विमुक्त घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों, भूमिहीन कृषि मजदूरों और पारंपरिक कारीगरों की श्रेणी के निम्न आय वाले छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा यथा मास्टर्स डिग्री अथवा पीएचडी पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने हेतु सहायता के लिए है ताकि उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार किया जा सके।

2 कार्य क्षेत्र

क. इस स्कीम के अंतर्गत अध्ययन के किसी भी क्षेत्र में उस देश की सरकार/अधिकृत निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों/विश्वविद्यालयों से विदेश में मास्टर्स स्तर और पीएच.डी. पाठ्यक्रम के अध्ययन हेतु चयनित उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

ख. प्रत्येक चयन वर्ष में, स्कीम के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन 125 नई छात्रवृत्तियां प्रदान की जाऐंगी। हालाँकि, स्लॉट आवंटित करते समय प्रत्येक राज्य के लिए कुल स्लॉट की 10% की सीमा होगी। यदि किसी राज्य के स्लॉट रिक्त रह जाते हैं, तो उस वर्ष के लिए ये स्लॉट अन्य राज्यों के लाभार्थियों को आवंटित किए जा सकेंगे, जिनमें वह राज्य भी शामिल होगा जिस पर 10% की सीमा लागू की गई है।

ग. इस स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति के लिए पात्र विभिन्न समूहों हेतु स्लॉटों का श्रेणीवार वितरण निम्नवत होगा:

क्र.सं.	श्रेणी	**संख्या**
क	अनुसूचित जातियां	**115**
ख	विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियां	**06**
ग	भूमिहीन कृषि मजदूर और पारंपरिक कारीगर	**04**
	कुल स्लॉट	**125**

घ. परिभाषाएं:

i. भूमिहीन कृषि मजदूर से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्यों से है, जिनके पास कोई संपत्ति, भूमि या व्यवसाय नहीं है और जिनकी आजीविका का मुख्य साधन कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम करना है।

ii. पारंपरिक कारीगरों से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति और उनके परिवार से है जो पारंपरिक कारीगरी पद्धतियों के माध्यम से अपनी आजीविका कमाते हैं।

ड. यदि किसी वर्ष विशेष के लिए सफल उम्मीदवार उपर्युक्त सूचीबद्ध श्रेणियों में से प्रत्येक के लिए निर्धारित सीमा तक उपलब्ध नहीं होते हैं तो उस वर्ष की छात्रवृत्ति **स्कीम के अंतर्गत योग्यता मानदंड** के अनुसार उपर्युक्त अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों हेतु खुली रहेगी।

च. महिला उम्मीदवारों के लिए प्रत्येक वर्ष की छात्रवृत्ति का 30% निर्धारित किया जाएगा। तथापि, यदि स्कीम की शर्तों के अनुसार पर्याप्त महिला उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होती हैं तो उपयुक्त पुरुष उम्मीदवारों का चयन करके अप्रयुक्त स्लॉटों का उपयोग किया जाएगा।

छ. इस स्कीम के अंतर्गत किसी भी विषय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम नहीं आते हैं।

ज. राज्य सरकार, अन्य एजेंसी अथवा स्वयं के व्यय के माध्यम से किसी अन्य छात्रवृत्ति का उपयोग करके पहले से ही विदेश में ठहरे हुए अथवा अध्ययन कर रहे अथवा विदेश में अध्ययन पूरा कर चुके उम्मीदवार एनओएस के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं।

झ. केवल वर्ष 2024 के लिए नवीनतम उपलब्ध क्यूएस रैंकिंग के अनुसार शीर्ष 500 रैंक वाले विदेशी संस्थानों/विश्वविद्यालयों में बेशर्त प्रवेश प्रस्ताव रखने वाले उम्मीदवारों का चयन पहले दौर के दौरान छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए किया जाएगा। किसी अन्य देश में अपने विश्वविद्यालय परिसर के लिए क्यूएस रैंकिंग उस राष्ट्र की विश्वविद्यालय परिसर की क्यूएस रैंकिंग के अनुसार मानी जाएगी। यदि उस देश में इसके परिसर के लिए कोई क्यूएस रैंकिंग उपलब्ध नहीं है तो इस पर विचार नहीं किया जाएगा। चयन के दूसरे दौर में निम्नलिखित को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी:

i. दूसरे दौर में आवेदन करने वाले शीर्ष 500 क्यूएस रैंकिंग संस्थानों से बेशर्त प्रवेश पत्र रखने वाले उम्मीदवार।

ii. अन्य क्यूएस रैंक वाले संस्थानों से बेशर्त प्रवेश पत्र रखने वाले उम्मीदवार जिन्होंने प्रवेश के लिए पिछले दौर अथवा वर्तमान वर्ष के वर्तमान दौर के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया है।

iii. अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों से बेशर्त प्रवेश पत्र रखने वाले उम्मीदवार जिन्होंने प्रवेश के लिए वर्तमान दौर के वर्तमान दौर अथवा विगत दौर के दौरान स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया है।

तथापि, प्रवेश के प्रस्ताव में उल्लिखित कोई भी वित्तीय शर्त जैसे शुल्क जमा करना अथवा कोई अन्य राशि अथवा निधि के स्रोत का प्रमाण, स्कीम दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवेदन पर विचार करने के लिए कोई बाधा नहीं होगी।

ञ. जो लाभार्थी अंतिम अवार्ड लेटर जारी होने से पहले अपनी आगे की पढ़ाई के लिए देश छोड़ते हैं, उन्हें देश छोड़ने से पहले अपने वित्त पोषण के स्रोत के बारे में विस्तृत जानकारी, ऋण दस्तावेज, वित्तीय लेनदेन का प्रमाण आदि प्रदान करते हुए इस विभाग को सूचित करना होगा, ऐसा ना करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

3 न्यूनतम अर्हता

छात्रवृत्ति हेतु पात्र होने के लिए अर्हता परीक्षा में कम से कम 60% अंक अथवा समकक्ष ग्रेड की आवश्यकता होगी। पीएचडी पाठ्यक्रमों के मामले में अर्हता परीक्षा स्नातकोत्तर होगी तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए, अर्हता परीक्षा स्नातक की डिग्री होगी। यदि किसी छात्र ने डिप्लोमा (द्वितीय वर्ष में सम्पार्श्विक प्रवेश) पूरा करने के बाद स्नातक की डिग्री पूरी कर ली है तो स्नातक की डिग्री में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को ध्यान में रखा जाएगा।

किसी भी विश्वविद्यालय के लिए प्रतिशत की गणना आवेदक द्वारा विभिन्न सेमिस्टरों/परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी। सभी सेमिस्टरों की अंक तालिका प्रदान की जाएगी। जहां विश्वविद्यालय द्वारा अंकों के स्थान पर सीजीपीए प्रदान किया जाता है, वहां सीजीपीए को अंकों में परिवर्तित करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा प्राधिकृत फार्मूला अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाना चाहिए।

यदि आवेदक द्वारा आवेदन के साथ सभी सेमिस्टरों/परीक्षाओं की अंक तालिका जमा नहीं करवाई जाती हैं तो आवेदक की उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी। इसी प्रकार, यदि आवेदक द्वारा अपने आवेदन के साथ सीजीपीए (जहां भी लागू हो) को परिवर्तित करने का फार्मूला प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी। इस संबंध में दोनों में से किसी भी मामले में अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

4 आयु

उम्मीदवार की आयु चयन वर्ष के लिए अप्रैल के पहले दिन 35 (पैंतीस) वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

5 आय सीमा

सभी स्रोतों से कुल पारिवारिक आय गत वित्तीय वर्ष में 8.00 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जैसा कि इन दिशानिर्देशों के पैरा 8ग में उल्लिखित है। आय प्रमाण पत्र एक राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए जो "तहसीलदार" के पद से नीचे का न हो। अंतिम अवार्ड लेटर जारी किए जाने से पहले छात्र पूर्ण आईटीआर/ स्वयं और परिवार के अन्य सदस्यों के संबंध में आयकर विभाग द्वारा धारा 143(1) के तहत जारी सीपीसी सूचना आदेश के साथ आईटीआर प्रस्तुत करेंगे। आय प्रमाण पत्र या तो डिजिटल प्रारूप में होना चाहिए, भारत सरकार/राज्य सरकार के प्रारूप में होना चाहिए या जारी करने वाले प्राधिकारी के लेटर हेड पर होना चाहिए।

6 परिवार

स्कीम के अंतर्गत, परिवार की आय के निर्धारण हेतु परिवार की परिभाषा निम्नलिखित मानी जाएगी:

"छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार, उनके माता-पिता तथा 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन, उसकी पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे।"

नोट: विवाहित महिलाओं के मामले में ससुराल वालों और उनके पति तथा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की आय पर विचार किया जाएगा।

7 छात्रवृत्ति के लिए एक परिवार में बच्चों की अधिकतम संख्या

एक लाभार्थी को दूसरी बार छात्रवृत्ति देने पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि छात्रवृत्ति केवल एक बार दी जा सकती है। स्कीम के अंतर्गत माता-पिता/अभिभावक के दो से अधिक बच्चे छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं होंगे और इस आशय के लिए उम्मीदवार से स्व-प्रमाणन की आवश्यकता होगी। उन्हीं माता-पिता/अभिभावक की दूसरी संतान पर तभी विचार किया जाएगा जब आवेदक ने वर्ष के जिस पिछले दौर में आवेदन किया उसमें अभी भी स्लॉट उपलब्ध हों।

8 आवेदन प्रक्रिया

क. स्कीम के बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हुए समाचार पत्रों/अन्य मीडिया में इस स्कीम का विज्ञापन किया जाएगा। उम्मीदवार, स्कीम दिशानिर्देशों की पात्रता शर्तों के अनुसार, उनकी पात्रता और उपयुक्तता का आकलन करने के बाद, इस मंत्रालय के पोर्टल, अर्थात् www.nosmsje.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

ख. चयन वर्ष की अवधि प्रत्येक वर्ष अप्रैल-मार्च होगी। पोर्टल फरवरी के मध्य से 45 दिनों की अवधि हेतु (चयन वर्ष की शुरुआत से पहले) पहले दौर के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए खोला जाएगा तथा चयन की छात्रवृत्ति हेतु केवल ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जाएगा। स्लॉट खाली रहने की स्थिति में, पोर्टल प्रत्येक चयन वर्ष में 45 दिनों की अवधि के लिए 1 सितंबर से दूसरे दौर के लिए फिर से खोला जाएगा।एक बार सभी 125 स्लॉट भर जाने के बाद, पोर्टल आवेदन जमा करने के लिए वर्ष के दौरान फिर से नहीं खोला जाएगा।

ग. प्रत्येक चयन वर्ष के पहले दौर के लिए, अंतिम पूर्ण वित्तीय वर्ष की पारिवारिक आय को चयन के उद्देश्य से ध्यान मे रखा जाएगा। दूसरे दौर के लिए पिछले पूर्ण वित्तीय वर्ष की पारिवारिक आय को चयन के उद्देश्य से रखा जाएगा। उदाहरण के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के चयन हेतु एनओएस छात्रवृत्ति के प्रथम दौर के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल 15 फरवरी, 2024 से 31 मार्च, 2024 तक खोला जायेगा तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 की पारिवारिक आय को चयन के उद्देश्य से ध्यान में रखा जायेगा। हालांकि, ऐसे मामलों में जहां वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सकल वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है, तो ऐसे मामलों में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पारिवारिक आय अर्थात अंतिम पूर्ण वित्तीय वर्ष को भी अंतिम अवार्ड लेटर जारी करने से पहले ध्यान में रखा जाएगा, इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पारिवारिक आय (आवेदन जमा करने की प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत की जाएगी) और उम्मीदवार को इस शर्त के अधीन छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उसकी पारिवारिक आय 8.00 लाख रुपये से कम है। ऐसा न करने पर, अभ्यर्थी को जारी किया गया अनंतिम अवार्ड लेटर रद्द कर दिया जाएगा। दूसरे दौर के लिए पोर्टल 1 सितंबर, 2024 से 15 अक्टूबर, 2024 तक खुला रहेगा और इसके लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए परिवार की आय को चयन के उद्देश्य से ध्यान में रखा जाएगा।

घ. सभी प्रकार से पूर्ण ऑनलाइन आवेदनों पर ही छात्रवृत्ति के लिए विचार किया जाएगा। सभी अपूर्ण अपूर्ण आवेदनों को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। तथापि, अस्वीकृत उम्मीदवारों के पास चयन के

बाद के चरणों में आवेदन करने का विकल्प होगा। उम्मीदवारों को संलग्न अनुबंध-I के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

ङ. पोर्टल में परिणाम के प्रकाशन से 30 दिनों तक परिणामों के संबंध में शिकायतों पर विचार किया जाएगा।

9 चयन प्रक्रिया

क. केवल वे उम्मीदवार जिन्होंने शैक्षिक सत्र 2024-25 और उसके बाद से शीर्ष 500 रैंक वाले संस्थानों/विश्वविद्यालयों की सूची में विदेशी संस्थानों/विश्वविद्यालयों में से किसी एक से बेशर्त प्रवेश का प्रस्ताव प्राप्त किया है उस संस्थान/विश्वविद्यालय स्कीम की अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति देने हेतु विचार किया जाएगा। तथापि, यदि पोर्टल पर आवेदन के समय छात्र अपना आधार कार्ड जमा नहीं करवा पाते हैं तो अंतिम अवार्ड लेटर/पुष्टिकरण पत्र जारी करने से पहले उन्हें अनिवार्य रूप से अपना आधार आईडी/आधार ईआईडी जमा करवाना होगा। ऐसा न किए जाने पर उन्हें जारी किए गए अनंतिम पत्र को वापस ले लिया जाएगा।

ख. संस्थान/विश्वविद्यालय में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि चयनित उम्मीदवार पाठ्यक्रम अथवा विश्वविद्यालय बदलना चाहता है तो वह अगले उपलब्ध दौर में नए सिरे से आवेदन कर सकता है।

ग. चयन के केवल दो दौर होंगे। चयन के प्रत्येक दौर के लिए पात्र उम्मीदवारों की मेरिट सूची विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों की नवीनतम उपलब्ध क्यूएस रैंकिंग के अनुसार रैंक के आधार पर तैयार की जाएगी जहां से उम्मीदवार को प्रवेश का प्रस्ताव मिला है तथा छात्रवृत्ति इस मेरिट के क्रम में प्रदान की जाएगी। उच्च रैंक वाले विश्वविद्यालय / संस्थान से प्रस्ताव पत्र रखने वाले उम्मीदवारों को मेरिट सूची में उच्च स्थान प्रदान किया जाएगा। यह प्रावधान धारा 2(ख) के अनुसार लागू किया जाएगा। दो अथवा दो से अधिक उम्मीदवारों की क्यूएस रैंकिंग के मध्य टाई के मामले में, मेरिट में उनकी स्थिति का निर्णय उच्च शिक्षा के लिए अर्हक परीक्षा में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों / ग्रेड के आधार पर किया जाएगा जिसके लिए छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया गया है।

घ. पात्र उम्मीदवारों के ऑनलाइन आवेदन छात्रवृत्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों के चयन तथा रैंकिंग के लिए उनकी सिफारिशें करने हेतु चयन-सह-छटनी समिति के समक्ष रखे जाएंगे।

ङ. पात्र उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची अंतिम दौर में रखी जाएगी। प्रतीक्षा सूची चयन वर्ष के 31 मार्च तक वैध होगी। प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवार अगले चयन वर्ष के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। प्रतीक्षा सूची अधिकतम कुल सीटों का 50% होगी।

च. जिन चयनित उम्मीदवारों ने पहले ही विदेशी विश्वविद्यालय/संस्थान में प्रवेश प्राप्त कर लिया है उन्हें छात्रवृत्ति के लिए अनंतिम अवार्ड लेटर जारी किया जाएगा।

छ. छात्रों को विदेश में विश्वविद्यालय/संस्थान में शामिल होने के लिए अनंतिम छात्रवृत्ति पत्र जारी करने की तारीख से एक वर्ष अथवा दो वर्ष का प्रवेश आस्थगन मिलेगा जो भी पहले हो, की अधिकतम समय अवधि की अनुमति दी जा सकती है, ऐसा करने में विफल होने पर छात्रवृत्ति स्वतः रद्द हो जाएगी और इस संबंध में उसके बाद कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

ज. यदि किसी लाभार्थी को अवार्ड लेटर की पुष्टि जारी की जाती है तो उसे अवार्ड लेटर की पुष्टि जारी होने की तारीख से छह (6) महीनों के भीतर मूल दस्तावेजों के सत्यापन, बांड जमा करने, ऋणशोधन-क्षमता प्रमाण पत्र आदि जैसी सभी प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा, अन्यथा अवार्ड लेटर स्वतः ही निरस्त कर दिया जाएगा। इन औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए और अधिक समय नहीं दिया जाएगा।

झ. दिशानिर्देशों के अंतर्गत उम्मीदवारों के चयन की समय-सीमा अनुबंध-II में दी गई है।

10 अनिवार्य शर्तें

i. उम्मीदवारों को नवीनतम उपलब्ध शीर्ष 500 क्यूएस रैंकिंग संस्थानों/ विश्वविद्यालयों में स्कीम में निर्दिष्ट कार्यक्रमों / क्षेत्रों में प्रवेश पाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। (https://www.topuniversities.com/universityrankings/world-university-rankings/2024)

ii. उम्मीदवार इस स्कीम के अंतर्गत समान स्तर के पाठ्यक्रम (स्नातकोत्तर/ पीएच.डी.) करने के लिए छात्रवृत्ति हेतु पात्र नहीं है, जिसके लिए उसने पहले ही भारत अथवा विदेश में किसी भी विश्वविद्यालय / संस्थान से डिग्री हासिल कर ली है।

iii. भारत शोध आधारित विषय पर भारतीय संस्कृति/विरासत/इतिहास /सामाजिक अध्ययन से संबंधित विषय/पाठ्यक्रम एनओएस के अंतर्गत शामिल नहीं होंगे। इस श्रेणी के अंतर्गत किस विषय को शामिल करना है, इसका अंतिम निर्णय एनओएस की चयन-सह-जांच समिति का होगा।

iv. नियोजित उम्मीदवारों को इस मंत्रालय को नियोक्ता से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" (एनओसी) प्रदान करना आवश्यक है।

v. यदि लाभार्थी विदेश जाने से पहले एक सरकारी कर्मचारी था तथा भारत लौटने पर उसे सरकार की सेवा करने की भी अपेक्षा है यदि वह भारत लौटने के बाद भी सरकारी सेवा में बना रहता है जैसा कि स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति के साथ विदेश जाने से पहले था।

vi. उम्मीदवार द्वारा सभी प्रशासनिक मामलों जैसे अध्ययन अवकाश, वेतन आदि का सीधे अपने नियोक्ता के साथ तथा सेवारत संगठन के नियमों के अनुसार समाधान किया जाएगा। यह मंत्रालय इस संबंध में कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा अथवा कोई सहायता प्रदान नहीं करेगा।

vii. उम्मीदवार को उस देश के लिए उपयुक्त वीज़ा प्राप्त करना होगा जहां वह स्कीम से छात्रवृत्ति के साथ आगे अध्ययन करना चाहता है और वीज़ा जारी करने वाले अधिकारी यह देख सकते हैं कि केवल इस प्रकार का वीज़ा जारी किया जाए जो उम्मीदवार को विदेश में निर्दिष्ट पाठ्यक्रम करने की अनुमति देता है और उसके बाद उम्मीदवार भारत लौट आता है। यदि उम्मीदवार संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन कर रहा है तो उम्मीदवार को केवल जे-1 वीजा प्राप्त करना आवश्यक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य विभाग छात्रों हेतु जे-1 वीजा के लिए नामित प्रायोजक संगठनों की एक सूची रखता है। यूएसए जाने वाले उम्मीदवारों को केवल जे-1 वीजा प्रायोजित विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में ही आवेदन करना चाहिए। यदि किसी उम्मीदवार ने एफ-1 वीजा पर प्रवेश के लिए आवेदन किया है अथवा पहले ही एफ-1 वीजा प्राप्त कर लिया है तो स्कीम के अंतर्गत ऐसा उम्मीदवार छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं है। भारत सरकार वीजा प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को कोई सहायता नहीं देगी।

viii. उम्मीदवार एक शपथ पत्र देगा कि वह अपने विश्वविद्यालय को विदेश में संबंधित भारतीय मिशन मिशन और मंत्रालय के साथ सूचना साझा करेगा। उम्मीदवार को यह भी वचन देना होगा कि वह इस स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने वाले पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय सहित किसी भी सरकार / अन्य संगठन से कोई छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा है। चयनित उम्मीदवार को विदेश के प्रचलित कानूनों के अनुसार इस मंत्रालय और विदेश में भारतीय मिशन मिशन को एक वचन देना होगा कि स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति की अवधि अथवा पाठ्यक्रम के पूरा पूरा होने के बाद विदेश में प्रवास का विस्तार, जो भी पहले हो, की अनुमति नहीं होगी। तथापि,

स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति के पाठ्यक्रम अथवा अवधि के पूरा होने के बाद विदेश में प्रवास का विस्तार, जो भी पहले हो, अनुमेय है जैसा कि खंड 14 में उल्लिखित है।

ix. यदि संबंधित विश्वविद्यालय / संस्थान कोरोना महामारी (कोविड -19) अथवा भविष्य में उत्पन्न होने वाली ऐसी किसी अन्य अपरिहार्य स्थिति के कारण लाभार्थी को ऑनलाइन कक्षाओं की अनुमति दे रहा है तो उम्मीदवार को स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार सभी प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होना आवश्यक है।

x. चयनित उम्मीदवार को एक नोटरी-पब्लिक के समक्ष एक गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर दो जमानतदारों के साथ एक बांड निष्पादित करना आवश्यक है, जो उम्मीदवार पर भारत सरकार द्वारा खर्च की जाने वाली वास्तविक राशि अथवा 50,000/- रुपये (पचास हजार) जो भी अधिक हो, के लिए अलग से ज़मानत बांड निष्पादित करेगा। प्रत्येक ज़मानत बांड भारतीय रुपये में अनुमानित व्यय के लिए निर्दिष्ट कवर करेगा जो विदेश में अध्ययन की पूरी अवधि के दौरान एवार्ड प्राप्त करने वाले पर यात्रा व्यय, शुल्क, रखरखाव और आकस्मिक भत्ते, वजीफा, छात्रवृत्ति और अन्य विविध खर्चों के रूप में व्यय किया जाएगा तथा स्कीम के प्रावधानों के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा लाभार्थी को चूककर्ता घोषित किए जाने की स्थिति में संयुक्त रूप से अथवा/और अलग-अलग जमानतदारों द्वारा देय होगा। भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई बांड की भाषा उम्मीदवार को स्वीकार्य होनी चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को संबंधित राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले दोनों ज़मानत के लिए ऋण शोधन प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा।

xi. यदि चयनित उम्मीदवार विदेश में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान में प्रवेश प्राप्त करता है और बांड के निष्पादन से पहले विश्वविद्यालय / संस्थान में शामिल हो जाता है जैसा कि खंड 10(ix) में उल्लिखित है तथा भारत लौटने की स्थिति में नहीं है तो वह भारत में अपने किसी भी प्रतिनिधि के लिए भारत सरकार के साथ विधिक बांडों/समझौतों/शपथपत्रों को निष्पादित करने हेतु एक मुख्तारनामा (पीओए) निष्पादित कर सकता है। ऐसे सभी आवेदकों को उस देश में स्थित भारतीय दूतावास/उच्चायोग से सत्यापन/मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है जहां वह अध्ययन कर रहा/रही है।

xii. चयनित उम्मीदवारों को अपने प्रस्थान से पहले ऐसे सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने और ऐसे करार करने की आवश्यकता होती है जैसा कि, समय-समय पर, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

xiii. यदि विवाहित उम्मीदवार अपने पति अथवा पत्नी तथा बच्चों को अपने साथ ले जाने अथवा बाद में अध्ययन की अवधि के दौरान उनके साथ रहने का निर्णय लेता है, तो यह पूरी तरह से उनकी वित्तीय क्षमता और पासपोर्ट, वीजा आदि की उपलब्धता के मूल्यांकन का विषय है क्योंकि स्कीम के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई वित्तीय सहायता तथा उनके पति या पत्नी तथा बच्चों के लिए कोई अन्य सहायता कवरेज प्रदान नहीं की जाती है।

xiv. यदि लाभार्थी को विदेश में भारतीय मिशन अथवा किसी अन्य सरकारी एजेंसी के माध्यम से अधिक भुगतान प्राप्त हुआ है तो वह इसे भारत सरकार को वापस करने के लिए उत्तरदायी है तथा उसका नियोक्ता (यदि कोई हो) उसके बकाया से अतिरिक्त राशि की वसूली के लिए अधिकृत है जो भारत सरकार के अनुरोध पर और उसे भारत सरकार को वापस कर देगा।

xv. एनओएस स्कीम के अंतर्गत आवश्यक प्रक्रिया/औपचारिकताओं को पूरा किए बिना विदेश में अपनी शिक्षा पूरी करने वाले उम्मीदवारों को कोई छात्रवृत्ति नहीं प्रदान की जाएगी / भुगतान नहीं किया जाएगा।

xvi. यह मंत्रालय, यदि आवश्यक हो, अन्य विभागों/एजेंसियों के परामर्श से, ऐसी स्थितियों और परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाले लाभार्थियों से संबंधित ऐसे मुद्दों पर निर्णय लेगा जो अप्रत्याशित प्रकृति के हैं और इस प्रकार, इस लिखित स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए हैं तथा मंत्रालय के निर्णय लाभार्थियों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

xvii. उम्मीदवार उस अध्ययन अथवा शोध के पाठ्यक्रम को नहीं बदलेंगे जिसके लिए छात्रवृत्ति स्वीकृत स्वीकृत की गई है। तथापि, जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जहां एक विश्वविद्यालय/संस्थान में पीएचडी कर रहे एक लाभार्थी को पता चलता है कि उसका गाइड चला गया है तथा तत्काल कोई प्रतिस्थापन नहीं है अथवा विश्वविद्यालय/संस्थानों ने क्षेत्र में अपनी शोध सहायता सुविधाओं को बंद कर दिया है जहां लाभार्थी पीएच.डी. अनुसंधान कर रहें हो; ऐसे मामलों में विदेश में भारतीय मिशन लाभार्थियों को इस स्कीम में अधिसूचित विश्वविद्यालय/संस्थान विश्वविद्यालय/संस्थान को बदलने की अनुमति देने के लिए अधिकृत हैं, जब मिशन इस तरह की आवश्यकता के बारे में संतुष्ट हो जाते हैं, तथापि, इस शर्त के अध्यधीन कि लाभार्थी द्वारा अर्जित

क्रेडिट यदि कोई हो प्रारंभिक विश्वविद्यालय / संस्थान में दूसरे विश्वविद्यालय / संस्थानों द्वारा स्थानांतरण के लिए स्वीकार किया जाता है तथा एवार्ड की कुल अवधि ऐसे स्थानांतरण / परिवर्तन पर भी अपरिवर्तित रहेगी, जिसे अवार्ड के दौरान केवल एक बार अनुमति दी जाएगी।

xviii. यदि लाभार्थी असफल हो जाता है तो निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे:-

क. किसी भी अनुत्तीर्ण विषय में पुनः बैठने के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

ख. यदि कोई लाभार्थी केवल शैक्षणिक असफलता के कारण समय सीमा मे विस्तार चाहता है, तो समय सीमा में विस्तार के लिए कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। तथापि, ऐसे मामलों में जहां असफलता के उचित कारण हों, ऐसे अनुरोधों पर विदेश स्थित भारतीय मिशन और संबंधित विश्वविद्यालय की सिफारिशों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से विचार किया जा सकता है।

xix. घर पर आपात स्थिति के मामले में जहां लाभार्थी को कुछ समय के लिए भारत लौटने की आवश्यकता होती है, भारतीय मिशन तथा शैक्षिक संस्थान, जहां वह अध्ययन कर रहा है, को सूचित करने के बाद लाभार्थी को विशिष्ट उद्देश्य के लिए भारत लौटने की अनुमति प्रदान की जाती है। तथापि, लाभार्थी को यात्रा के लिए आने-जाने का खर्च वहन करना होगा तथा वह अपने विदेश स्थिति शैक्षिक संस्थान से परे रहने की अवधि के लिए भारतीय मिशन से स्कीम के अंतर्गत भरण-पोषण भत्ता प्राप्त करने का भी हकदार नहीं होगा तथा भारतीय मिशन द्वारा भरण-पोषण भत्ता उसी संस्थान में उसी पाठ्यक्रम को दोबारा से शुरू करने की तारीख से फिर से शुरू किया जाएगा। लाभार्थी को घर की स्थिति से निपटने के बाद, जितनी जल्दी हो सके अपने शैक्षिक संस्थान के स्थान पर लौटना आवश्यक है; ऐसा न करने पर, वह चूककर्ता घोषित होने के लिए उत्तरदायी होगा और लाभार्थी को प्रदान की गई वित्तीय सहायता की राशि वापस लेने की कार्रवाई आरंभ कर दी जाएगी।

xx. स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों से रोजगार के लिए पाठ्यक्रम पूरा होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर भारत लौटना तथा विदेश में प्राप्त ज्ञान को शेयर करना अपेक्षित है। छात्रों को कम से कम एक वर्ष के लिए भारत में रहना होगा तथा भारत सरकार की विभिन्न विभागों/मंत्रालयों में सेवा के अवसरों की तलाश करनी होगी।

11. भारतीय मिशन की भूमिका

i. भारतीय मिशन मौजूदा व्यवस्था एवं मंजूरी आदेशों के अनुसार छात्रों को उनके अधिकार क्षेत्र में अनुशिक्षण शुल्क/ भरण-पोषण भत्ता/ अन्य भत्तों का भुगतान करेगा।

ii. यदि लाभार्थी पाठ्यक्रम को पूरा करने में विफल होता है तो उसे चूककर्ता घोषित किया जाएगा तथा खर्च की गई पूरी राशि की ब्याज सहित वसूली हेतु वह उत्तरदायी होगा जिसका उल्लेख चूककर्ता खण्ड के खण्ड 16 में किया गया है। तथापि, यदि उम्मीदवार के विभाग के गाइड /अध्यक्ष यह प्रमाणित करते हैं कि उम्मीदवार अपने अध्ययन के प्रति कटिबद्ध/समर्पित/अध्ययनरत है तो मंत्रालय को स्कीम के अंतर्गत चूककर्ता के दण्ड प्रावधान से उसको छूट देने का अधिकार होगा। भारतीय मिशन, ऐसे सभी मामलों में, छोटे मार्ग एवं इकॉनॉमी क्लास में भारत आने के लिए वापसी वायु यात्रा की व्यवस्था करेगा।

iii. जब लाभार्थी पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक समापन पश्चात विदेश में एक माह से अधिक ठहरता है तो उसे भारत वापसी के लिए स्वयं का खर्च उठाना पड़ेगा तथा उसके द्वारा बुक की गई वापसी यात्रा का पुन: भुगतान प्राप्त करने का वह हकदार नही होगी/होगा। सामान्य: परिस्थितियों में, पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक समापन के तुरंत पश्चात, विदेश में भारतीय मिशन, जैसा की स्कीम में प्रावधान किया गया है लाभार्थी के लिए वापसी यात्रा बुक करेगा तथा लाभार्थी पाठ्यक्रम के समाप्त होने के बाद बिना किसी विशेष उद्देश्य के प्रवास करता है तो विदेश में भारतीय मिशनों के माध्यम से सरकारी खर्चे पर वापसी यात्रा के उसके दावों को जब्त किया जाएगा।

iv. छात्रों की प्रगति का नियमित रूप से निगरानी करना।

v. भारतीय मिशनों को लाभार्थी के भारत वापसी के बारे में इस मंत्रालय को सूचित करने की आवश्यकता है।

12. निगरानी

i. विदेश में भारतीय मिशन विश्वविद्यालय/संस्थान से प्राप्त द्विवार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करेगा लाभार्थी अपना अध्ययन कर रहा है जिसके लिए स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी। मिशन इस मंत्रालय को लाभार्थी के मामले में ऐसे गंभीर नकारात्मक घटनाक्रम के बारे में सूचित सूचित करेगा जिसे छात्रवृत्ति को जारी रखने अथवा अन्यथा स्वरूप निर्णय की आवश्यकता है। तथापि, मिशन ऐसे लाभार्थियों को उनकी उपलब्धियों को सुधारने में गंभीर प्रयास करने के लिए

सलाह देता रहेगा जो उनकी उक्त द्वि-वार्षिक प्रगति रिपोर्ट में आदर्श के अनुकूल नहीं दिखाई पड़ती तथा उनको स्मरण कराया जा सकता है कि स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता स्कीम में निर्धारित अवधि से परे विस्तारणीय नहीं है।

ii. अनुरक्षण भत्ते का भुगतान प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने से जुड़ा है। प्रथम सेमेस्टर के लिए, छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता को रखरखाव भत्ता पहली बार में दो किस्तों में अग्रिम के रूप में दिया जा सकता है: पहली बार तीन महीने बाद और दूसरी बार अगले तीन महीने बाद। इसके बाद, अगले सेमेस्टर के लिए भरण-पोषण भत्ता पुरस्कार प्राप्तकर्ता की संतोषजनक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही त्रैमासिक आधार पर भुगतान किया जा सकता है।

iii. मिशन एवं मंत्रालय एनओएस पोर्टल पर छात्रों आदि का चयन मंजूरी आदेश, निधियों का जारी करना तथा प्रगति की स्थिति को बनाए रखेगा।

13. वित्तीय सहायता

क्र. सं.	सहायता का प्रकार	संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) एवं यूके को छोड़कर अन्य देश	यूनाइटेड किंगडम (यूके)
1.	वार्षिक भरण-पोषण भत्ता	15400 यूएस डॉलर	9900 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड
2.	वार्षिक आकस्मिकता भत्ता	1500 यूएस डॉलर	1100 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड
3.	अनुशिक्षण शुल्क	वास्तविक रूप से प्रभारित	
4.	वीजा शुल्क	भारतीय रुपए में वास्तविक वीजा शुल्क	
5.	चिकित्सा बीमा प्रीमियम	यथा प्रभारित वास्तविक	
6.	आकस्मिक यात्रा भत्ता एवं उपकरण भत्ता	प्रत्येक के लिए 20 यूएस डॉलर अथवा भारतीय रुपए में इसके बराबर	

7.	हवाई यात्रा	क) लाभार्थी (भारत में निकटतम हवाई अड्डे से गृह-नगर से शैक्षिक संस्थान के निकटतम स्थान तक तथा भारत को वापसी) तीन अधिकृत यात्रा एजेंट्स बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड (बीएलसीएल), अशोक ट्रेवल्स एंड टूर्स (एटीटी), भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड (आईआरसीटीसी) से इस शर्त के साथ हवाई टिकट खरीदने के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी कि टिकट बुकिंग की तारीख को इकॉनामी क्लास/छोटे मार्ग की होनी चाहिए। (ख) टिकट बुकिंग के लिए यात्रा एजेंट का चयन लाभार्थियों के लिए खुला है। लाभार्थियों को बुकिंग शुल्क/अतिरिक्त सामान/ रद्दकरण शुल्क तथा अन्य ऐड-ऑन का पुनर्भुगतान नहीं होगा। (ग) लाभार्थी विश्वविद्यालय में दाखिला लेकर विश्वविद्यालय से शामिल होने की तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद संबंधित विदेश में भारतीय मिशन से हवाई किराए के पुनर्भुगतान का दावा करेंगे। (घ) शर्तें 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी होंगी। (ड.) विदेश में भारतीय मिशन द्वारा खण्ड 11(iii) के अनुसार वापसी की टिकटें बुक की जाएंगी।

नोट:

(i) आकस्मिकता भत्ता किताबों /आवश्यक उपकरण /अध्ययन दौरा /विषय से संबंधित सम्मेलन, कार्यशाला आदि में भाग लेने के लिए यात्रा लागत/ थीसिस आदि की बाइंडिंग एवं एवं टाइपिंग/ तथा विश्वविद्यालय/संस्थानों द्वारा प्रभारित शुल्क जो प्रत्यक्ष रूप से प्राप्तकर्ताओं के अध्ययन से संबंधित है जैसे छात्र सेवा एवं सुविधा शुल्क, पंजीकरण शुल्क, परीक्षा शुल्क, नामांकन शुल्क, लाइब्रेरी शुल्क आदि के लिए अनुमत्य है। तथापि, अंग्रेजी

अथवा किसी अन्य भाषा पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क पाठ्यक्रम में शामिल होने से पहले अथवा पाठ्यक्रमों के दौरान अनुमत्य नहीं हैं।

ii. बंदरगाह से उतरने से लेकर अध्ययन स्थान तक तथा वापस जाने के लिए रेल का द्वितीय अथवा कोच श्रेणी का किराया। दूर-दराजों के स्थानों के मामले में जो रेल से नहीं जुड़े हैं, आवासीय स्थान से नजदीकी रेलवे स्टेशन का किराया (ए), फेरी द्वारा मार्ग पार करने का वास्तविक प्रभार, नजदीकी रेल-सह-हवाई स्टेशन तथा/बंदरगाह से चढ़ने और वापसी के लिए छोटे मार्ग द्वारा द्वितीय श्रेणी रेलवे किराया स्वीकार्य होगा। भारत सरकार तथा विदेश में भारतीय मिशन द्वारा उपर्युक्त सूचीबद्ध वित्तीय सहायता के संवितरण का मोड निश्चित किया जाएगा।

iii. लाभार्थियों को अनुसंधान/अध्यापन सहायता के रूप में कार्य द्वारा उनके निर्धारित भत्तों को पूरक करने की अनुमति है।

iv. लाभार्थी जो भारत में किसी कारणवश ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, के मामले में, अनुरक्षण भत्तों की दर एससी हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत दिवा शोधार्थी जो समूह 1 के रूप में वर्गीकृत पाठ्यक्रमों को कर रहे हैं, के लिए एसजेएण्डई मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एससी हेतु पूर्वोत्तर छात्रवृत्ति के अंतर्गत शैक्षिक भत्ते की अनुमोदित दरों के अनुसार लागू होंगी।

v. यदि शोधार्थी चयनित छात्र संबंधित विश्वविद्यालय तथा संबंधित भारतीय मिशन के अनुमोदन के साथ एनओएस स्कीम के अंतर्गत अध्ययन/अनुसंधान के उद्देश्य से भारत का दौरा करता है तो भारत में अनुरक्षण भत्तों आदि की दर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित अनुसूचित जाति हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति स्कीम के अंतर्गत दर के अनुसार लागू होगी।

14. वित्तीय सहायता के साथ छात्रवृत्ति की अवधि

i. निर्धारित वित्तीय सहायता पाठ्यक्रम/ अनुसंधान अथवा निम्नलिखित अवधि के समापन तक प्रदान की जाएगी, जो भी पहले हो:-

पीएच.डी	--	04 वर्ष (चार वर्ष)
मास्टर्स डिग्री	--	03 वर्ष (तीन वर्ष)

ii. पाठ्यक्रमों के स्तरों हेतु निर्धारित अवधि से अधिक ठहरने की अवधि का भारत वापसी की हवाई यात्रा को छोड़कर किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता के बिना विचारण किया जा सकता

सकता है और केवल तभी यदि शैक्षिक संस्थान/विश्वविद्यालय के साथ-साथ विदेश में भारतीय मिशन में संबंधित सक्षम प्राधिकारी की सिफारिश यह प्रमाणित करती है कि एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए इस तरह का समय से अधिक ठहरना, पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए उम्मीदवार की सुविधा हेतु बिल्कुल आवश्यक है। तथापि, इस संबंध में अंतिम निर्णय केवल भारत सरकार का होगा।

15. स्कीम का क्षेत्राधिकार

स्कीम का क्षेत्राधिकार चयनित उम्मीदवारों को विनिर्दिष्ट विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए निर्धारित वित्तीय सहायता प्रदान करने तक सीमित है।

16. स्कीम के अंतर्गत चूक

यदि कोई उम्मीदवार विदेश में अध्ययन कर रहा है तो उसके द्वारा निष्पादित बांड के किसी भी नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन किया जाता है और शैक्षिक संस्थानों/विश्वविद्यालय विदेश में भारतीय मिशन को उसके अध्ययन पर प्रतिकूल रिपोर्ट/संचालन/अथवा उम्मीदवार का किसी अन्य देश में चला जाना/ फरार अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय, पाठ्यक्रम/कार्यक्रम में शामिल होना आदि सूचित करते हैं तथा विदेश में भारत मिशन को सूचित किए बिना अनिवार्यता की स्थिति में भारत वापस लौटता है तो, उसे चूककर्ता घोषित किया जाएगा तथा उस पर खर्च की गई संपूर्ण राशि ब्याज सहित जो प्रति वर्ष 12% होगा, के लौटाने हेतु उत्तरदायी होगा तथा यदि कोई लाभार्थी उस लौटाने की मांग की तारीख से छः माह के भीतर राशि चुकाने में विफल रहता है तो दंडस्वरूप बकाया राशि पर ब्याज की सामान्य दर से 2.5 अधिक ब्याज लगाया जाएगा। यदि लाभार्थी ब्याज सहित राशि चुकाने में विफल होता है तो उस पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से, उसके जमानतदार जिन्होंने बॉड बनाया है, संपूर्ण राशि का भुगतान करने हेतु जिम्मेदार होंगे जिसे संबंधित जिले के जिला कलेक्टर द्वारा भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूली माना जायेगा।

17. गलत जानकारी प्रस्तुत करना

यदि किसी उम्मीदवार ने गलत जानकारी दी /दस्तावेज प्रस्तुत किया है तथा यह सूचना गलत साबित होती है, तो उसे छात्रवृत्ति से वंचित किया जाएगा और उसने इसका लाभ लिया है अथवा ले रहा है, तो उस पर 15% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ खर्च की गई राशि की वसूली हेतु

कार्रवाई की जाएगी। ऐसे उम्मीदवार भविष्य के लिए काली-सूची में डाल दिए जाएंगे तथा कार्यरत उम्मीदवार को भी ऐसे कार्यों के लिए विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा जिसके लिए भारत भारत सरकार संबंधित नियोक्ताओं के साथ मामला उठाएगी। संबंधित नियोक्ता से भी अनुरोध किया गया कि आवेदकों को एनओसी देने से पहले अपने कर्मचारियों के आवेदन की विषयवस्तु को को ध्यान से देखें। इसलिए संबंधित नियोक्ताओं से अनुरोध है कि वे एनओसी देने से पहले अपने कर्मचारियों के आवेदनों की सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। नियोक्ता अपने यहां नियुक्त उम्मीदवारों से जैसे वे उचित व आवश्यक समझे तथा ऐसे मामलों में नियमों व विनियमों के अनुसार बांड निष्पादित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

18. अभियोग

भारत में इस स्कीम से संबंधित किसी भी मामले पर मुकदमा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में स्थित न्यायालयों के एकल क्षेत्राधिकार के अध्यधीन होगा। विदेश में भारतीय मिशन द्वारा विदेश में उत्पन्न मुकदमा निपटाया जाएगा।

19. प्रशासनिक व्यय

एक प्रावधान जो एनओएस के कुल बजट के 1% से अधिक ना हो, को विदेश में भारतीय मिशन/ मंत्रालय के लिए डाटाबेस को बनाने, प्रचार, कार्मिक शक्ति की भर्ती, एनओएस पोर्टल बनाने /उन्नयन एवं जागरूकता निर्माण अथवा अन्य दूसरे कार्यकलाप जो स्कीम के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक है, के लिए बनाया गया है। प्रशासनिक व्यय का उपयोग करते हुए मिशन मंत्रालय की अनुमति से संबंधित कार्य हेतु पूर्णकालिक/आंशिक कार्मिक नियुक्त कर सकता है।

20. अन्य छात्रवृत्ति स्कीम का लाभ उठाने पर प्रतिबंध

उम्मीदवार केंद्र अथवा राज्य सरकारों की समान स्कीम के किसी अन्य छात्रवृत्ति का लाभ उठाने से प्रतिबंधित होगा।

21. श्रेयस स्कीम की किसी अन्य खण्ड हेतु संशोधन/रियायत

विशेष परिस्थितियों में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा वित्तीय मानदण्डों को

छोड़कर एससी उम्मीदवारों आदि हेतु राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति स्कीम के दिशा-निर्देशों में सुधार/रियायत का विचारण तथा निर्णय किया जा सकता है। व्यय विभाग के परामर्श के साथ वित्तीय मानदंडों में परिवर्तन किया जा सकता है।

*****

अनुबंध-I

क. आवेदन चरण पर आवश्यक दस्तावेज की सूची

1. 10वीं बोर्ड प्रमाण पत्र
2. जाति प्रमाण पत्र
3. फोटो
4. स्कैन किए गए हस्ताक्षर
5. वर्तमान पते का प्रमाण/वर्तमान पते से भिन्न होने के मामले में स्थायी पते का प्रमाण
6. अर्हकारी डिग्री/अस्थायी प्रमाण पत्र
7. अर्हकारी परीक्षा का अंक प्रमाण-पत्र
8. विदेशी विश्वविद्यालय में दाखिले से संबंधित वैध दस्तावेज (आवेदन, पंजीकरण अथवा दाखिले से संबंधित दस्तावेज)(*)
9. परिवार के सभी सदस्यों के आय दस्तावेज
10. यदि आवेदक रोजगारशुदा है तो नियोक्ता द्वारा एनओसी प्रमाण पत्र। यदि अर्हकारी डिग्री पूरा करने के बाद 6 माह का अंतराल हो, तो गैप प्रमाण पत्र
11. आईटीआर स्वीकृति दस्तावेज
12. आधार कार्ड

ख. यदि लाभार्थी का चयन हो जाता है, तो उन्हें अनुसूचित जाति आदि के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अनंतिम अवार्ड लेटर जारी होने पर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

(i) सत्यापन फार्म
(ii) स्व-घोषणा/कुल वार्षिक पारिवारिक आय संबंधी शपथ-पत्र
(iii) किसी लंबित मामले से संबंधित स्व-घोषणा/अपराध का दोष-सिद्ध ना होना
(iv) पासपोर्ट की प्रति

विभाग द्वारा मांगे गए दस्तावेज तथा संबंधित दूतावास द्वारा प्रस्ताव पत्र के सत्यापन एवं उपर्युक्त दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के बाद, इस मंत्रालय द्वारा छात्रवृत्ति अवार्ड लेटर

प्रदान करने की पुष्टि के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी।

नोट:- उम्मीदवार को सत्यापन के लिए मूल रूप से आवेदन पत्र के साथ जमा किए गए सभी दस्तावेजों के साथ पूर्व अनुमति/मिलने का समय लेकर किसी भी कार्य दिवस पर व्यक्तिगत रूप से इस मंत्रालय में आना आवश्यक है।

ग. इस मंत्रालय में सभी दस्तावेजों के सत्यापन तथा वित्त विभाग (आईएफडी) के अनुमोदन के पश्चात छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता को छात्रवृत्ति अवार्ड लेटर का प्रमाणीकरण जारी किया जाएगा। उम्मीदवार आवेदक को निम्नलिखित जमा कराने होंगे:

(i) एससी आदि हेतु राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति स्कीम को चलाने वाले विनियमों की शर्तों के अनुसार उम्मीदवार को सभी प्रकार से पूर्ण, दो जमानतदारों के लिए नोटरी पब्लिक के समक्ष निष्पादित कम से कम 100/- रुपए के दो प्रतिज्ञापत्र - गैर न्यायिक स्टैंप पेपर।

(ii) दोनों जमानतियों के लिए ऋण शोधन क्षमता प्रमाण-पत्र

(iii) स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र

(iv) आपके पासपोर्ट तथा वीजा की दो प्रतियां

(v) गैर-न्यायिक स्टैंप पेपर पर एक शपथ-पत्र/घोषणा जिसमें यह उल्लेख हो कि लाभार्थी के पास वह अर्हता नहीं हैं जिसके लिए उसका चयन हुआ है और वह अन्य कोई छात्रवृत्ति नही ले रहा है।

(vi) वह तिथि जिस को छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता विदेशी विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु हवाई यात्रा करने की इच्छा रखता है।

(vii) चयनित उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे पूर्व अनुमति/मिलने का समय लेकर उपर्युक्त दस्तावेजों की प्रतियों के साथ सभी दस्तावेज जमा करा के व्यक्तिगत रूप से इस मंत्रालय में आ जाएं।

(viii) उनसे यह भी अनुरोध है कि वे पूर्व कथित सभी दस्तावेजों की पीडीएफ ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराएं।

नोट:- छात्रवृत्ति अवार्ड लेटर की पुष्टि के साथ-साथ बांड की नमूना प्रति, ऋण शोधन प्रमाण-पत्र एवं शपथ-पत्र आवश्यक कार्रवाई हेतु जारी किए जाएंगे। शपथ पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित 10 रुपए के गैर-न्यायिक स्टैंप पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।

अनुबंध-II

क. पोर्टल अगले चयन वर्ष के चयन के प्रथम दौर के लिए आवेदन प्राप्त करने हेतु प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी से 31 मार्च तक खुला रहेगा।

ख. प्राप्त आवेदन की जांच अनुभाग में 20-30 दिनों में होगी।

ग. तत्पश्चात, उम्मीदवारों की सिफारिश / निराकरण हेतु जांचे गए आवेदन चयन-सह-जांच समिति के सामने रखे जाएंगे जिसमें लगभग 10-15 दिन लग सकते हैं।

घ. समिति से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर, चयन/निराकरण की अग्रिम सूची माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाएगी।

ङ. द्वितीय दौर के चयन के लिए भी यही प्रक्रिया अपनायी जाएगी जो 45 दिनों की अवधि के लिए पोर्टल को खोलने के साथ सितम्बर के प्रथम सप्ताह में आरंभ होगी।

च. पोर्टल आगे तृतीय चरण के लिए जनवरी माह में खोला जाएगा जो कि स्लॉटों की उपलब्धता के अध्यधीन होगा।

छ. चयनित/प्रतीक्षित/अस्वीकृत उम्मीदवारों की एक सूची ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

ज. व्यक्तिगत ई-मेल/संदेश नियत समय में सभी पंजीकृत उम्मीदवारो को भी भेज दिए जाएंगे। अधूरे आवेदनों को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।

नोट:- उपर्युक्त समय-सीमा अनंतिम है।